

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

"नारी शक्ति पुरस्कार" के लिए दिशानिर्देश - महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्र के लिए महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करने और समाज में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए इस दिन को मनाता है।

इसलिए, मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाली व्यक्तिगत महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी सेवा के सम्मान के लिए उनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए।

2. उद्देश्य

2.1 पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में भाग लेने के लिए मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा ठोस प्रयास किए गए हैं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों को अत्यधिक महत्व दिया गया है और ध्यान केंद्रित किया गया है। "नारी शक्ति पुरस्कार" समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा।

2.2 नारी शक्ति पुरस्कार युवा भारतीयों को समाज और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं के योगदान को समझने का अवसर भी प्रदान करेगा।

2.3 यह पुरस्कार नागरिकों को पुरस्कार विजेताओं की लीग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेगा।

3. विवरण

3.1 नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की घोषणा प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी तक की जाएगी और पुरस्कार 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (आईडब्ल्यूडी) के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे।

3.2 पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 15 होगी। हालांकि, चयन समिति के विवेक पर इस अधिकतम संख्या में किसी भी छूट की अनुमति दी जा सकती है। प्रत्येक श्रेणी में पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और प्रति पुरस्कार विजेता दो लाख रुपये की नकद राशि होगी।

4. नामांकन के लिए पात्रता मानदंड

4.1 पुरस्कार केवल व्यक्तिगतों के लिए खुले हैं।

4.2 पुरस्कार वर्ष के 1 जुलाई को आवेदकों की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए (उदाहरण के लिए, वर्ष 2021 के पुरस्कार जोकि 08.03.2022 को वितरित किए जाने हैं उनके लिये आयु 01.07.2021 को 25 वर्ष होनी चाहिए)।

4.3 आवेदक को पूर्व में उसी पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं होना चाहिए (स्त्री शक्ति पुरस्कारों सहित जो पहले मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए थे)।

4.4 नारी शक्ति पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण या इस विषय से संबंधित या उससे संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए, अधिमानतः असाधारण परिस्थितियों में, व्यक्तिगतों को प्रदान किया जा सकता है।

4.5 नारी शक्ति पुरस्कार उन व्यक्तिगतों को दिया जा सकता है जिन्होंने महिलाओं को निर्णय लेने की भूमिकाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया; पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित किया; ग्रामीण महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की सुविधा; विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कला, संस्कृति जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को संरक्षा और सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास, जीवन कौशल, महिलाओं के सम्मान और सम्मान आदि के लिए ठोस और महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया हो।

4.6 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भी पुरस्कार दिया जा सकता है, जिसने बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में काफी सुधार किया है।

4.7 आम तौर पर पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किए जाएंगे; उन मामलों को छोड़कर जहां मृत्यु इन दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने के बाद हुई है।

## 5. नामांकन

5.1 पुरस्कार के लिए नामांकन यहां से आमंत्रित किए जाएंगे:

- i. राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग।
- ii. गैर-सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय/संस्थान, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)।
- iii. चयन समिति, स्वतः भी पर्याप्त औचित्य के साथ पुरस्कार के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करती है।
- iv. पुरस्कारों के लिए स्व-नामांकन और सिफारिशों, दोनों पर विचार किया जाएगा।

5.2 नामांकन आवेदन पत्र में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र के विवरण के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

5.3 पैरा 5.1 में नामांकन की सिफारिश करने वाली संस्थाओं को नामांकित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करना चाहिए जिसके लिए पुरस्कार की सिफारिश की जा रही है।

## 6. नामांकन आवेदन का तरीका

6.1 पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए नामित पोर्टल प्रत्येक कैलेंडर वर्ष को 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक खोला जाएगा। मंत्रालय सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, केंद्रीय

मंत्रालयों/विभागों को पुरस्कारों का व्यापक प्रचार करने और नामित पोर्टल के माध्यम से नामांकन भेजने के लिए भी पत्र लिखेगा। सरकार अपने विवेक से उस विशेष वर्ष के लिए पुरस्कारों के नामांकन पर विचार करने के लिए कोई अन्य प्रारंभ/कट-ऑफ तिथि तय कर सकती है।

6.2 सूचना को प्रासंगिक विवरण के साथ-साथ मंत्रालय की वेबसाइट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ-साथ संचार के किसी भी अन्य माध्यम, जैसा कि तय किया जा सकता है, पर डाला जाएगा।

7. नामांकन भेजने की प्रक्रिया:

7.1. नामांकन केवल निर्दिष्ट वेबसाइट अर्थात् [www.awards.gov.in](http://www.awards.gov.in) के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ([www.wcd.nic.in](http://www.wcd.nic.in)) पर भी उपलब्ध होगा। ऑनलाइन मोड के अलावा अन्य प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 नियत तिथि तक प्राप्त आवेदनों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, अन्य सरकारी/उपयुक्त एजेंसियों/संगठनों को आवेदनों में उल्लिखित दावों और उपलब्धियों के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा।

8. नामांकन की स्क्रीनिंग

8.1 आवेदन करने/अनुशंसित व्यक्तियों की उपलब्धियों पर विचार करते हुए पुरस्कारों के लिए प्राप्त नामांकनों की जांच और संक्षिप्त सूची के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा।

स्क्रीनिंग कमेटी में निम्न शामिल होंगे:

(i)	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	अध्यक्ष, पदेन
(ii)	महिला मुद्दों के क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञ/लिंग विशेषज्ञ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य
(iii)	निदेशक / डीएस स्तर के अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पंचायती राज, गृह मामलों, नीति आयोग।	-	सदस्य
(iv)	सीआईआई और फिक्की महिला संगठन (एफएलओ) के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(v)	संबंधित निदेशक/उप सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य सचिव

9. चयन समिति द्वारा पुरस्कार विजेताओं का चयन

9.1 स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर पुरस्कार विजेताओं का चयन करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।

9.2 चयन समिति में निम्न शामिल होंगे:

(i)	माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	अध्यक्ष, पदेन
(ii)	माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री	-	सदस्य, पदेन
(iii)	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन

(iv)	विशेष या अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन
(v)	सचिव या ग्रामीण विकास मंत्रालय से उनके नामित	-	सदस्य, पदेन
(vi)	पांच राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्ति/प्रतिनिधि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान/संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि	-	सहयोजित सदस्य
(vii)	संयुक्त सचिव (महिला पुरस्कार), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य-सचिव

9.3 चयन समिति अपने विवेक से उन व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर भी विचार कर सकती है, जिन्हें नामांकन/सिफारिशें प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पहले नामांकित/अनुशंसित किया गया है।

## 10. पुरस्कार की प्रस्तुति

10.1 यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष समारोह/समारोह में नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा।

10.2 मंत्रालय पुरस्कार पाने वालों के लिए सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास द्वारा एयर इंडिया या किसी अन्य एयरलाइन द्वारा, जैसा कि विशेष रूप से अनुमति दी गई है, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा, और बिलों और हवाई टिकटों के उत्पादन पर स्थानीय यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति करेगा। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा पुरस्कार विजेताओं के लिए तीन दिन (पुरस्कार समारोह की तारीख से एक दिन पहले और एक दिन बाद) के लिए बोर्डिंग और लॉजिंग की व्यवस्था की जाएगी।

10.3 विशेष परिस्थितियों में, मंत्रालय पुरस्कार प्राप्तकर्ता के एक साथी के लिए सबसे छोटे मार्ग से इकोनॉमी क्लास द्वारा यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति भी करता है, यदि पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित है:

- पुरस्कार प्राप्त करने वाले की आयु 70 वर्ष से अधिक है (पुरस्कार समारोह की तिथि के अनुसार);
- पुरस्कार पाने वाला दिव्यांगजन या विकलांग व्यक्ति है, जो साथी के समर्थन के बिना प्रबंधन नहीं कर सकता (राज्य / केंद्र सरकार के नामित प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है);
- पुरस्कार पाने वाला बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी से संबंधित है;
- पुरस्कार प्राप्त करने वाला निरक्षर है या भाषा की बाधा है, और एक साथी के बिना प्रबंधन नहीं कर सकता है।

## 11. पुरस्कारों वापसी

यदि पुरस्कारों की प्रस्तुति के बाद यह पाया जाता है कि पुरस्कार का दावा करने के लिए आवेदन में आवेदक द्वारा झूठी घोषणा की गई है या किसी पुरस्कार प्राप्तकर्ता का आचरण किसी राष्ट्रविरोधी, असामाजिक के रूप में अशोभनीय पाया जाता है, अनैतिक, अवैध गतिविधियों जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, आर्थिक अपराध आदि या कानून की अदालत द्वारा दोषसिद्धि शामिल है, मंत्रालय पुरस्कार वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसी घटना में पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं और उन्हें भारत की संचित निधि में पुरस्कार राशि को इस तरह से वापस करना होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

## 12. पुरस्कारों को नियंत्रित करने वाले विविध प्रावधान

12.1 मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए और/या बताए किसी प्रविष्टि को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

12.2 पुरस्कार विजेताओं के चयन के संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और आवेदक सहित किसी भी व्यक्ति को सरकार के निर्णय पर सवाल उठाने या ऐसे निर्णय की वैधता को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।

(मनीष कुमार सिंह)  
अवर सचिव, भारत सरकार